झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

का० आ० सं०–08 / ज०सं०(नि०) राँची–03–07 / 2017 ..../ राँची, दिनांक ....

आदेश

श्री अरूण कुमार, (ID- 3239) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार), गुण–नियंत्रण प्रमण्डल जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध गुण–नियंत्रण प्रमण्डल, मेदिनीनगर में पदस्थापित अवधि दिनांक– 26.08.2016 से 29.12.2016 तक कार्यालय एवं मुख्यालय में अनुपस्थित रहने के बावजूद बकाया वेतनादि रू० 3,25,453/– (तीन लाख पच्चीस हजार चार सौ तिरपन) रूपये का भुगतान तथ्यों का छुपाकर नये पदस्थापित स्थान नहर एवं नहर संरचना, रूपांकण प्रमण्डल, सं०–01, राँची से प्राप्त कर लिये जाने के आरोप में आरोप पत्र गठित कर विभागीय संकल्प सं०–2436 दिनांक–04.06.2018 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली –2016 के नियम– 16 एवं 17 अन्तर्गत विभागीय संचालित की गई। श्री कुमार के दिनांक– 31.07.2018 को सेवानिवृत हो जाने के कारण उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को आदेश सं०–4164 दिनांक– 01.10.2018 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम– 43बी० अन्तर्गत सम्परिवर्त्तित किया गया।

2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। जाँच प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री अरूण कुमार को आरोपमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

4. अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 1334 राँची / दिनांक 05/03/19

प्रतिलिपि :– उप सचिव(प्र०), प्रशाखा–1, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर /कार्यपालक अभियंता, नहर एवं नहर संरचना रूपांकण प्रमण्डल सं०–01, जल संसाधन विभाग, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री अरूण कुमार, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, फ्लैट सं०–एफ०/टी०एफ० स्वागतम अपार्टमेंट, शुक्ता कॉलोनी, हिनू, राँची–834002को सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/19

(रमेश कुमार दूबे)